332

कार्यालय उप जिला कलेक्टर (प्राधिकृत अधिकारी) अलवर

क्रमांक/राजस्व/99/ दिनांक:-

आ दे श
=========

यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 337/95 में पारित निर्णय दिनांक 22.8.97 के अनुसरण में जिला अलवर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का एवं राष्ट्रीय अभयारण्य सरिस्का क्षेत्र में बसें हुयें निवासीयों के दावों एवं अधिकारों का निर्धारण, किया जाना है।

राजस्थान सरकार (वन विभाग) द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 39 (2) फोरे/55 दिनांक 7.11.1955 के द्वारा राजस्थान वन्य जीव एव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत आरक्षित क्षत्र घोषित किया गया इसके अतर्गत राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 39(2) राज/ए दिनांक 5-8-1958 को सरिस्का क्षेत्र वन्य जीव सैन्चुरी की संशोधित सीमायें निम्न प्रकार घोषित की गई।

पूर्व:- डांगरवाडा, बोरेटा, पृथ्वीपुरा, नया गॉव, भण्डोडी, बालेटा (गोसरा) मुण्डावसा, इमटीपुरा, चांदपाडी, निर्भयपुरा, एव धर्मपुरा

पश्चिम:- मुण्डावरा, रेकामाला, दुडारमाला, थानागाजी, अमराकाबास जोधावास, श्यामपुरा, रामपुरा, गोपालपुरा एव जैतपुरा

उत्तर:- मुण्डावरा, भानावास, आडामाला, (रिर्जव वन) रैका गुवाडा कालीखोल रिर्जव वन

दक्षिण:- सिलीवावरी रिजर्व फोरस्ट दबकंन, धेवर, वावाकाबास, मुरलीपुरा नाडू विलेज एव टहला राजगढ रोड कालवाड, तिलवाडी रिर्जव फोरेस्ट

उक्त अधिसूचना दिनांक 5.8.1958 के अनुसरण में जिला कलेक्टर अलवर द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 21 के तहत घोषणा पत्र संख्या प-39-(2)राज/72/6805-8 दिनांक 25.11.1975 जारी कर इस क्षेत्र के अन्दर बसे हुये ग्राम 1. करनाकाबास, 2. किरास्का 3. उमरीदेवरी को प्रथम चरण मे बाहर बसाने के लिये इसे क्षेत्र के निवासीयों के क्लेम निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28.1.1976 तक आमंत्रित किये गयें। इसके अनुसरण में पुन: घोषणा पत्र ...प.39(2)(1)राज/72/8887-8907 दिनांक 24.11.1976

.....2

 333

जारी किया गया । इसके तहत ग्राम डाबली, छोटी इन्दोक डूगावाली कुण्डलका, देहरी (देवरी) मे बसे निवासीयों के अधिकारों को तय करने हेतु क्लेम दिनांक 27.1.77 तक आंमत्रित किये गयें । तत्पश्चात घोषणा पत्र संख्या एफ39-2-राज/72/1766-70 दिनांक 14.4.80 को जारी किया गया जसमें, ग्राम हरीपुरा, उमरी देवरी, डाबली, छोटी इन्दोक, डूगावाली में बसें हुये निवासीयों के अधिकार निर्धारण हेतु क्लेम दिनांक 16.5.1980 तक आमंत्रित किये गयें ।

इस क्षेत्र में बसें ग्रामवासियों के कोई क्लेम प्राप्त नही हुयें । इस क्षेत्र के अन्दर आने वाले ग्राम करनककाबास, क्रास्का कुण्डलका को अन्य क्षेत्र में विस्थापित करने की कार्यवाही की गई । सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत ही सरिस्का राष्ट्रीय उधान स्थित हैं । सरिस्का राष्ट्रीय उधान के संबंध में तत्संबधी आदेशो द्वारा निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेगें । शेष वन क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानो के तहत उक्त सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के लिये निम्न अधिकार निर्धारित (निर्वहन) किये जाते हैं ।

1- लोक (सेवक) राजकीय दायित्वों के . . मे प्रवेश कर सकेगें ।

2- मुख्य वन जीव प्रतिपालक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर्ता ही प्रवेश कर सकेगें ।

3- अभयारण्य क्षेत्र में दिनांक 25.11.75 से पूर्व के विधमान रास्तों के अधिकार जो राजस्व अभिलेखो मे अंकित है यथावत रहेगें ।

4- धार्मिक स्थल, पीने के पानी के स्थलो पर दिनांक 25.11.75 से पूर्व में विधमान अधिकार जो राजस्व अभिलेखो में अंकित है यथावत रहेगें ।

5- ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इस क्षेत्र में कोई अचल सम्पत्ति है ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में आ जा सकेगा ।

6- . . . राजस्व भूमि पर ग्रामवासीयों एव पंचायतों को 25.11.1975 से पूर्व के प्राप्त सार्वजनिक एव निजी अधिकार जों राजस्व अभिलेखो मे अंकित है यथावत रहेगें ।

7- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा लगाये गये प्रतिबंधो के अध्यधीन इस क्षेत्र में पशुओं की चराई की जा सकेगी ।

8- भविष्य मे इस क्षेत्र के निवासीयों को अन्यत्र विस्थापित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा, किन्तु अधिग्रहण की कार्यवाही

-------3

334

नियमानुसार मुआवजा दिया जावेगा ।

9- इन उक्त वर्णित सभी अधिकारों का प्रयोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अधिन किया जावेगा । तथा नियम 1972 के तहत जो प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा लगाये गये है वे यथावत रहेंगे ।

उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 126 के तहत जारी अधिसूचना एफ 11(22)राज/ग्रुप-8/78/पीटी-1 दिनांक 4.8.83 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधो-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक को हस्ताक्षर एव मोहर अदालत से जारी क किये गये ।

उप जिला कलेक्टर
अलवर
(प्राधिकृत अधिकारी)

क्रमांकः- सम/ 1874-1923 दिनांकः-24.10.99

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग राज.सरकार, जयपुर
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज. सरकार, जयपुर
3. जिला कलैक्टर, अलवर 4. उप जिला कलैक्टर, राजगढ
5. क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर)
6. तहसीलदार अलवर/थानागाजी/राजगढ को दस-दस अतिरिक्त प्रतियां भेजकर लेख है कि उक्त आदेश समस्त ग्रामों के सार्वजनिक स्थानों पर सूचनार्थ चस्पा करावें ।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति उमरैण/थानागाजी/राजगढ
8. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, अलवर
9. सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम ----------
10. नोटिस बोर्ड कलैक्ट्रेट/एस.डी.ओ./तहसील/पंचायतसमिति/ग्रामपंचायत पर सूचनार्थ

उप जिला कलैक्टर
अलवर
(प्राधिकृत अधिकारी)